

प्रेषक

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी /वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड/नई दिल्ली।

संख्या 67 /17(मुख्य)/भाग-2/वा0स्था0-2019/नि0को0पें0ह0/2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019

विषय: लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में किये गये प्राविधानुसार वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष, 2019 के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से 10 इच्छित स्थानों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कहना है उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं शासनदेश संख्या 118/XXX-2/2018-30(13)/2019 दि0 23 अप्रैल, 2019 में किये गये प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कोषागारों में उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) के पदों पर तैनात अधिकारियों से अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प प्रारूप-01, 02 एवं 03 पर आमंत्रित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्मिक द्वारा पृथक-पृथक प्रारूप पर विवरण/सूचना प्रस्तुत की जायेगी तथा विकल्प प्राथमिकता कम में दिया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अपने-अपने कोषागारों/उपकोषागारों में तैनात प्रत्येक उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) पदधारकों के अनिवार्य स्थानान्तरण वर्ष, 2019 हेतु निर्धारित प्रारूप-01, 02 एवं 03 पर सूचना संकलित करते हुए दिनांक 30.04.2019 को विशेष वाहक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक अधिकारी विकल्प देने से छूटने न पाए। यदि किसी अधिकारी का विकल्प-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कोषागार अधिकारी की होगी। यदि उल्लिखित पदधारकों में से कोई अधिकारी अवकाश/चिकित्सा अवकाश/अन्य कारणों से अवकाश पर हो, तो स्वयं कार्यालय अभिलेखानुसार सेवा विवरण भरते हुए उनसे 10 इच्छित स्थानों के नाम प्राथमिकता कम में अवश्य प्राप्त कर लिये जाय। वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जानी है, जो समयबद्ध होने के साथ-साथ बाध्यकारी भी है।

संलग्नक: प्रारूप- 01, 02 व 03

भवदीय,

(एल0एन0 पन्त)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि समस्त उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) उत्तराखण्ड/नई दिल्ली को निदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरण हेतु वांछित प्रारूप 01, 02 व 03 जैसी भी स्थिति हो, पर सूचना/विवरण भरते हुए तत्काल सम्बन्धित कोषागार अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(एल0एन0 पन्त)
निदेशक।

प्रेषक

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी /वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड/नई दिल्ली।

संख्या 67 /17(मुख्य)/भाग-2/वा0स्था0-2019/नि0को0पें0ह0/2019 दिनांक 26, अप्रैल, 2019

विषय: लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में किये गये प्राविधानुसार वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष, 2019 के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से 10 इच्छित स्थानों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कहना है उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं शासनदेश संख्या 118/XXX-2/2018-30(13)/2019 दि0 23 अप्रैल, 2019 में किये गये प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कोषागारों में उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) के पदों पर तैनात अधिकारियों से अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प प्रारूप-01, 02 एवं 03 पर आमंत्रित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्मिक द्वारा पृथक-पृथक प्रारूप पर विवरण/सूचना प्रस्तुत की जायेगी तथा विकल्प प्राथमिकता कम में दिया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अपने-अपने कोषागारों/उपकोषागारों में तैनात प्रत्येक उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) पदधारकों के अनिवार्य स्थानान्तरण वर्ष, 2019 हेतु निर्धारित प्रारूप-01, 02 एवं 03 पर सूचना संकलित करते हुए दिनांक 30.04.2019 को विशेष वाहक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक अधिकारी विकल्प देने से छूटने न पाए। यदि किसी अधिकारी का विकल्प-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कोषागार अधिकारी की होगी। यदि उल्लिखित पदधारकों में से कोई अधिकारी अवकाश/चिकित्सा अवकाश/अन्य कारणों से अवकाश पर हो, तो स्वयं कार्यालय अभिलेखानुसार सेवा विवरण भरते हुए उनसे 10 इच्छित स्थानों के नाम प्राथमिकता कम में अवश्य प्राप्त कर लिये जाय। वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जानी है, जो समयबद्ध होने के साथ-साथ बाध्यकारी भी है।

संलग्नक: प्रारूप- 01, 02 व 03

भवदीय,

(एल0एन0 पन्त)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि समस्त उपकोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) उत्तराखण्ड/नई दिल्ली को निदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरण हेतु वांछित प्रारूप 01, 02 व 03 जैसी भी स्थिति हो, पर सूचना/विवरण भरते हुए तत्काल सम्बन्धित कोषागार अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(एल0एन0 पन्त)
निदेशक।

—1—

उपकोषागारों में तैनात उपकोषाधिकारी के वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष, 2019 के प्रयोजनार्थ सेवा विवरण (प्रत्येक कामिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पृथक-पृथक स्वयं का सेवा विवरण भरा जायेगा)

क्र० सं०	जनपद	तैनात उपकोषा -धिकारी का नाम	उपकोषागार जहाँ पर वर्तमान में तैनात हैं।	जन्मतिथि	से०नि० का दिनांक	गृह जनपद का नाम	प्रथम नियुक्ति से वर्तमान समय तक समस्त तैनातियों का विवरण (सम्बद्धता, प्रतिनियुक्ति अवधि यदि कोई हो, का पृथक से उल्लेख करें)					सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों अभ्युक्ति में तैनाती किये जाने हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के नाम (प्राथमिकता क्रम में)	12	13
							कोषागार / उपकोषागार का नाम	कब से	कब तक	कुल अवधि साल / माह / दिन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
							1.							
							2.							
							3.							
							4.							
							5.							
							6.							
							7.							

पृष्ठान्त - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित उपकोषाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में अंकित सेवा विवरणों की जांच कर ली गयी है। कार्यालय अभिलेखांश सेवा पुस्तिका के अनुसार दी गयी सूचनायें सही हैं।

हस्ताक्षर
मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी
(नाम पदनाम मोहर सहित।

जनपदीय कोषागारों/कोषागार में तैनात सहायक कोषाधिकारी के वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष, 2019 के प्रयोजनार्थ सेवा विवरण (गण्योक्त कार्मिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पृथक-पृथक स्वयं का सेवा विवरण भरा जायेगा)

(प्रत्येक कार्मिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पृथक-पृथक स्वयं का सेवा विवरण भरा जायेगा)

क्र० सं०	जनपद	तैनात सहायक कोषाधिकारी का नाम	जनपदीय कोषागार/ कोषागार का वर्तमान में तैनात हैं।	जन्मतिथि	से०नि० का दिनांक	गृह जनपद का नाम	प्रथम नियुक्ति से वर्तमान समय तक समस्त तैनातियों का विवरण (सम्बद्धता, प्रतिनियुक्ति अवधि यदि कोई हो, का पृथक से उल्लेख करें)				सुगम एवं दुरगम क्षेत्रों में तैनाती किये जाने हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के नाम (प्राथमिकता क्रम में)	अभ्युक्ति
							कोषागार /उपकोषागार का नाम	कब से	कब तक	कुल अवधि सात / माह / दिन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1.					
							2.					
							3.					
							4.					
							5.					
							6.					
							7.					

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित सहायक कोषाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में अंकित सेवा विवरणों की जांच कर ली गयी है। कार्यालय अभिलेखा / सेवा पुस्तिका के अनुसार दी गयी सूचनायें सही हैं।

हस्ताक्षर
मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी
(नाम पदनाम मोहर सहित।

5

विवरण (प्रत्येक कार्मिकों द्वारा निर्धारित ग्राहक पर पृथक-पृथक स्वयं का सेवा विवरण भरा जायेगा)

कह-लोक

Link

हस्ताक्षर
मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी
(नाम पदनाम मोहर सहित।